भागवत कथा - 11

वैशाली (B.com.)

ज्ञान-मुरलियों के पीछे, ईश्वरीय सेवार्थ और आजीवन अपनी पवित्रता-पालन के लक्ष्य को लेकर लौकिक परिवार वालों के विरुद्ध खड़ी रही एक और कन्या है 'बड़ौदा की वैशाली' ।

Bhagawat Story-11

Vaishali Bahan

With the undeterred aim of maintaining purity and ambitions towards Godly Service in the light of spiritual enlightenment through Jnaan Muralies; stood ahead, another girl Vaishali of Baroda.

वैशाली परमार जो कि पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखती थी और अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ धीरजबेन व अन्य रिश्तेदार उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ज़ोर-जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे। जिस कारण वैशाली अपनी इच्छा से घर से भाग निकली व मई, 2011 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। उसे डर था कि कहीं उसके जीजाजी जे.ए. मकवाना जो कि बड़ौदा में वकील हैं, वे उसकी माँ द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को व उसके अन्य सदस्यों को किसी झूठे केस में न फँसा दें और उसे ज़ोर-जबरदस्ती विद्यालय से वापिस न ले जाएँ। जिस कारण वैशाली बहन ने दिनांक 14.05.2011 को पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद, यू.पी. व पुलिस अधीक्षक, पानी गेट, वड़ोदरा को अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने की सूचना दी थी।

Right from the beginning, Vaishali Parmar was interested in the spiritual knowledge and wished to surrender herself for the cause of spiritual service and follow lifelong purity. But, her mother Dheerajben and other relatives wanted to get her forcibly married against her wish. For that reason, Vaishali has escaped on her own and joined Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya during May , 2011. She feared that her brother-in-law J.A. Makvana, a lawyer in Baroda and her mother may implicate the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya and other members in some or other false case and get her back from Vidfyalaya forcibly. And hence, she has addressed the S.P., Farrukhabad , U.P as well S.P., Pani Gate, Baroda that she has joined the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya on her own volition,.

उसके बावजूद वैशाली की माँ धीरज बेन दिलीप भाई परमार ने आरोप लगाया कि उसी शहर के दीपक बालानी ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों से मिलीभगत करके अवैध काम कराने के लिए उसकी बेटी 'वैशाली बेन दिलीप भाई परमार' को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिनांक 16-05-2011 को अपहरण करके बंधक बनाकर रखा है।

And despite that, her mother Dheerajben Dilip Bhai parmar of Gujarat has complained with allegations that one Deepak Balani of the same place has kidnapped and detained her daughter Vaishali Ben against her wish on 16-05-2011 in hands with "AVV family" for the purpose of using her for illegitimate purposes.

उन्होंने ता. 29-06-2011 को एडिशनल चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के तहत अर्ज़ी दाखिल की कि जब वे अपने तीन रिश्तेदारों के साथ पुलिस वालों को ले करके दिल्ली आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुँचे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों ने उन्हें अपनी कन्या वैशाली के साथ ग्रिल के अंदर से बात कराई। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश की माँग की कि सर्च वारंट जारी कर उनकी बेटी वैशाली को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली से छुड़ाकर कोर्ट के सामने पेश करें।

She has in her petition stated before the Addl. Chief Judicial Magistrate under section 97 on 29-06-2011 that when she reached "AVV" along with three of her relatives and Police, the people of the "AVV" has allowed her to talk with her daughter from behind the grills. She has further requested in her petition that orders may be passed to the extent that her daughter may be released from the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya and be presented before the court.

अब वैशाली बहन को कोर्ट में जाना ही पड़ा। वैशाली बहन ने कोर्ट के सामने ता. 12-10-2011 को यह बयान दिया था कि वह 25 साल की है और जो भी आरोप उसकी माँ ने लगाए हैं, वे सरासर गलत हैं। वैशाली ने यह भी अपने बयान में कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से, किसी के दबाव के बिना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली में रह रही है और किसी ने उसे बहलाया-फुसलाया नहीं है; बल्कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लेकर अपनी स्वेच्छा से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई है।

Now, it became inevitable for Vaishali Bahan to approach the court on 12-10-2011. In her statement under oath before the court she made it clear that she is

major with 25 years of age and the allegations made by her mother are absolutely false. She has further ascertained before the court that she was staying with the "AVV family" at her volition without pressures by anybody and no one has ever influenced her. She has affirmed, she is aimed at maintaining purity for lifelong and surrendered herself for the cause of Godly Service.

वैशाली ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में किसी ने बंधक नहीं बनाया है और ऐसा आरोप सरासर गलत है। वैशाली ने अपने बयान में अपनी माँ के आरोपों का खंडन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय में रहने वाली कन्याओं-माताओं की सुरक्षा के लिए ग्रिल्स को अंदर से ताला लगाकर रखते हैं। वैशाली ने अपनी माँ के साथ घर वापस जाने के लिए मना किया और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली में ही रहने की इच्छा जताई।

She has further clarified that none of the "AVV family" has detained her and such allegations are totally framed false. She has in her statement on oath, while contradicting her mother's allegations, further made it clear that it was the practice to keep girls and mothers inside the grills locked for security purposes and safety. Vaishali has refused before the court to go along with her mother and has expressed her desire to stay at Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya , Delhi.

उक्त बयान सुनकर मैजिस्ट्रेट ने वैशाली को अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली जाने की अनुमति दी। अपना केस झूठा पाया जाने पर भविष्य में वैशाली द्वारा या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वैशाली की माँ के खिलाफ कोई क्रॉस केस किए जाने के डर से धीरजबेन दिलीपभाई परमार ने बड़ौदा के एडिशनल चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में दाखिल किया हुआ क्रि.प.नं.135/11 को विदड्रा कर लिया।

Hearing the statement of Vaishali, the magistrate has allowed her to go to Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya, Delhi. Having her case proved false and for the fear that the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya may file cross case against her, Dheerajben Dilip Bhaee Parmar hase withdrawn her Criminal Petition No. 135/11 from the court of Addl. Chief Judicial Magistrate.

लेकिन बात यहाँ तक खतम नहीं हुई। वैशाली बहन, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सदस्या मंजू बहन व निर्मला माता जैसे ही कोर्ट के मेन गेट से बाहर निकलीं वैसे ही वैशाली के जीजा जे.ए. मकवाना 5-6 गुंडों को साथ में लेकर आए और गंदी गाली-गलौज करते हुए धमकियाँ देने लगे। उन्होंने वैशाली को ज़ोर-जबरदस्ती कोर्ट परिसर से लेकर जाने की कोशिश भी की; लेकिन शिवबाबा की छत्रछाया बनी होने के

कारण जैसे-तैसे वैशाली व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की अन्य सदस्या उन नराधमों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हुई।

But the matter did not come to an end here. When Vaishali Bahan, along with the family members of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya came out of the main gate of the court, the brother-in-law, lawyer J.A. Makwana along with 5-6 goondas started abusing and threatening. They have also attempted to drag Vishali by force out of the court area , but for the reason of having the safety support of Shiv Baba, Vaishali and the other members could however escape from the clutches of those criminal minded.

अपने निर्णय पर अडिग रही वैशाली बहन अब भी ज्ञान-मुरलियों की मस्ती में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ है।

Vaishali now on her undeterred courage with "AVV family", happy on the way to spiritual enlightenment with Jnaana Muralies.

और आगे की प्रकरण...

[illegible]

—1202–2,00,000-10-2010.
..Cirs. Civil. P. P. 13, 14, Circular No. 30, Edition 1903]

Civ. A 27c.

Exhibit No. [illegible]

DEPOSITION OF WITNESS NO. FOR THE

I do hereby on solemn affirmation state that–

My name is [illegible] Father's Name [illegible]

Religion

Age about [illegible] Occupation [illegible]

Residence [illegible] District [illegible]

Examination–in–chief

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ક્રીકેટ માં ભારી [illegible] [illegible] [illegible]
ની [illegible] [illegible] ક્રીકેટ [illegible] [illegible] છે.
કે [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] છે.

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

X Parmar D.

તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૨

રીપોર્ટ નંબર ૬૦૦૨૦૧૬
નકલ માંગનાર [illegible]
રીપોર્ટ આપ્યા તારીખ [illegible]
૧૭/૧૦/૧૨

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

નકલ તૈયાર થઇ તારીખ ૧૭/૧૨/૧૮

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

નકલ છોડયા તારીખ ૧૭/૧૧/૧૮

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

17/11/11

	૬-૦૦
... ફી	૩-૦૦
... ફી	
પપર ફી	૧-૦૦
... ફી	
	૧૦-૦૦

આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે અસલ ઉપરથી આ ખરી નકલ કરી આપેલ છે.

મુકાબલ કરનાર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

Typed Copy

1202-2,00,000-10-2010 क्रि.प.नं. 135/11

Cirs.civil.P.P.13, 14, circular Civ.A 27e.

No.30, Edition 1903] Exhibit No. 9

DEPOSITION OF WITNESS No. FOR THE

I do hereby on solemn affirmation state that-

My name is- वैशाली बेन Father's Name- दिलीपभाई परमार

Religion

Age about- 25 Occupation- साध्वी

Residence- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय District

Examination-in-chief

शपथ पत्र

म आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मकान नं. 351-352, ब्लाक- ए, रोहिणी सेक्टर- 5 के पास, विजयविहार, दिल्ली म पिछले पाँच महीने से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ।

मेरी जन्म तारीख 28-11-1985 है और मेरी आयु अभी 25 पच्चीस वष, ग्यारह महीने है।

इस प्रकरण की प्रार्थिनी धीरजबेन दिलीपभाई परमार मेरी माता ह। म जानती हूँ कि मेरी माता ने इस आशय का एक निवेदन पत्र कोट म दाखिल किया है कि इस केस के विरोधी पक्ष दीपक बालानी और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली वालों ने मुझे मेरी इच्छा के विरूद्ध रखा है, जो निवेदन पत्र मने पढ़ा है| निवेदन पत्र म जो बात लिखी गई है कि विरोधी पक्ष वालों ने मुझे जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा है, वो सरासर गलत है। म दिल्ली स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव अथवा धमकी के रह रही हूँ। मुझे किसी ने भी अपने कब्जे म नहीं रखा है और

दिल्ली स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म रहने के लिए मुझे किसी ने भी बहलाया या फुसलाया नहीं है।

म इस विश्वविद्यालय म घर से बिना बताये इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म समर्पित होना है। घर म बात नहीं का क्योंकि मेरी माँ को समाज का डर लगता है और मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म समर्पित होने नहीं देगी, इसलिए म बिना बताये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली म दाखिल हो गयी थी।

मने संसार का त्याग करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म विद्यालय के नियम प्रमाण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का व्रत लिया है।

निवेदन पत्र म लिखा है कि मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के घर के कमरे म ताला लगाकर बंधक बनाया हुआ है, वो बात एकदम गलत है | और हमारे विद्यालय म सिफ कन्याएँ-माताएँ रहती ह, इसलिए उनके बचाव/सुरक्षा के लिए गेट बंद करके ताला लगाते ह।

इसके सिवाय मुझे और कुछ कहना नहीं है, मुझे मेरी माँ के साथ घर नहीं जाना है और मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली म रहना है।

हमने जो बात शपथ पत्र म बताई है, वह एकदम सत्य है।

Sd/-

वैशालीबेन परमार

Date: 12-10-2011

ક્રિ.પો.નં. ૧૩૫/૧૧

મે. ન્યાયાધીશ શ્રી ચીફ જ્યુ. મે. સાહેબ ગાંધીનગરનાઓની

અરજદાર:- હીતેન્દ્રસિંહ દિલીપભાઈ પરમાર

વિરુધ્ધ

સામાવાળા:- આશાપાલન વિદ્યાપીઠ શિક્ષણ વિભાગ

રીટ પુરસીસ

અમો અરજદાર તરફે અરજદારનાઓ નીચે મુજબ

ના રોજ પુરસીસ આપી જણાવીએ છીએ કે

અરજદાર તરફે અરજદારનાઓ સંસ્થાના

સામાવાળા વિરુધ્ધ ક્રિ.પો. દાખલ કરી છે. આ કામનું

પુરી હીતેન્દ્રસિંહ દિલીપભાઈ પરમાર નામનું નીકળવાનું

ગાંધીનગરના પ્રમાણે આ સામે આગળ સામાવાળાના

નાણાંની રકમ આ સાથે રજુ કરેલ છે. પ્રમાણે આ

પુરસીસ આપી જણાવીએ છીએ.

હિતેન્દ્રસિંહ ડી પરમાર
અરજદારની સહી

તા. ૧૨.૧૦.૧૧
ગોધરા

અરજદાર તર્ફે એડવોકેટ

Typed Copy

क्रि.प.नं. 135/11

न्यायालय श्रीमान अर्तारिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वड़ोदरा

प्रार्थी: धीरजबेन दिलीपभाई परमार

विरुद्ध

प्रतिपक्ष: आध्यात्मिक विश्वविदयालय

विषय: पुरसीस

हम प्रार्थी नीचे दिए गए विथड्रा पुरसीस के दवारा यह बताते ह कि-

यह कि, प्रार्थी ने प्रतिपक्ष के विरुद्ध आवेदन पत्र दाखिल किया हुआ ह, जिसम प्रार्थी का पुत्री वैशालीबेन दिलीपभाई परमार का बयान ले लिया गया है| अब हम यह केस आगे चलाना नहीं चाहते ह और इस पुरसीस के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे ह।

दिनांक:- 12-10-2011 Sd/-

वड़ोदरा धीरजबेन दिलीपभाई परमार